एक जिला–एक उत्पाद योजना–उत्तर प्रदेश

डा0 नंदिता
एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
इलाहाबाद डिग्री कालेज,
संघटक महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को जनवरी 2018 में लाया। इस योजना से प्रदेश में लाखों बेरोजगार, गरीब एवं असहाय लोगों को लाभ होगा और नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को इस योजना को अधिकारिक तौर पर शुरू किया। इस योजना से प्रदेश का समावेशी विकास हो पाएगा, जिलों के छोटे, मध्यम और पांरपरिक उद्योगों के विकास हो पाएगा, जिलो के छोटे, मध्यम और पांरपरिक उद्योगों के विकास में वृद्धि होगा, इस योजना के तहत 25 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेगी और राज्य का सफल उत्पाद 2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को 25000 रूपये प्रदान करेगी प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने के साथ और प्रत्येक उत्पाद एक ब्राण्ड बन जाएगा और उत्तर प्रदेश की बनी वस्तुओं 'ब्राण्ड यू.पी.' के रूप में पहचान बनेगी।

पृष्ठभूमि :

'एक जिला, एक उत्पाद' योजना का विचार जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में लाया गया था। इसके बाद इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा भी अपनी अर्थव्यवस्था में अपनाया गया। 24 जनवरी, 2018 को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'एक जिला एक उत्पाद' (One District, One Product) योजना का अधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, मध्य और पंरपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा।

योजना क्या है?

हर प्रदेश अपने कुछ विशेष चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में भी छोटे लघु उद्योग हैं, जहाँ से वो विशेष पदार्थ बनकर देश–विदेश में जाता है। उत्तर प्रदेश में काँच का सामान, लखनवी कढ़ाई से युक्त कपड़ें, विशेष चावल आदि बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे सभी वस्तुएँ छोटे से गाँव के छोटे–छोटे कलाकार बनाते हैं, जो साधनों की कमी के बावजूद अपनी कला को दुनिया में बिखरते है। लेकिन समय के साथ इन छोटे कलाकार का अस्तित्व भी खोता जा रहा है, इन छोटे लघु उद्योग की जगह बड़े–बड़े कारखानों ने ले ली है, जहाँ हाथ की बजाय मशीन से काम होता है। हाथ की कारीगर को उनका वो कीमत नहीं मिलता, जितना उनको मिलना चाहिए। एक जिला एक उत्पाद ऐसे ही खोये हुए कलाकार को रोजगार देगी, उत्तर प्रदेश में जो भी जिला, जनपद जिस विशेष सामान के लिए जानी जाती है, उधर के लघु उद्योग को पैसा देगी, वहाँ पर काम करने वालों को आगे बढ़ाएगी।

उद्देश्य :

- स्थानीय शिल्प का विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे छोटे–छोटे कारीगरों की आय में वृद्धि होगी। इन कारीगरों को रोजगार और अधिक पैसों के लिए अपने घर को छोड़ शहर जाना पड़ता था, इस योजना से पलायन में कमी आएगी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ किया जायेगा, जिससे भारत देश

के सभी राज्य में इस योजना के द्वारा लोगों को लाभ मिल सके, इसके साथ ही यह योजना युवाओं को भी आकर्षित करेगी, जिससे बेरोजगार को नए अवसर मिलेंगें। साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही साथ ही साथ स्थानीय वस्तुओं का निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा।

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश का विकास करना है। इस योजना के द्वारा जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पायेगा।
- इस योजना के द्वारा उद्योगो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नयी तकनीकों का प्रयोग और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- इस योजना के द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब तक के अनुमान के अनुसार अगले आने वाले 5 सालों में लगभग 25 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा। सरकार के द्वारा 25000 करोड़ रुपये स्थानीय व्यापारियों और अन्य छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए बेरोजगार लोगो को दिये जायेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत इन जिलों में बन रहें उत्पादो की गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा आदि का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो इन सबका विश्लेषण करें और फिर उसके अनुसार अपने कार्य के लिए रणनीति तैयार करेगी।
- लघु, मध्यम, परंपरागत उद्योग को आर्थिक रूप से सरकार मदद करेगी, साथ ही उसकी गुणवत्ता, कुशलता में विशेष सुधार के लिए काम किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत कम ब्याज दर में लोन दिया जायेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें।
- इसके साथ ही इसकी पैकिंग, ब्रांडिंग पर भी काम किया जायेगा। हर एक उत्पाद को ब्रांड नाम दिया जायेगा, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य की पहचान बढ़ेगी। अच्छी पैकिंग, ब्रांड नाम होने से लोग इसे जानेंगें और उत्पाद की तरफ आकर्षित होंगें।
- इन उत्पादों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे दूर दूर निर्यात किया जायेगा, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम चुना जायेगा। इसके अलावा हस्तशिल्प जैसे मेला लगाए जायेंगें, जगह जगह काउंटर पर इसकी बिक्री शुरू की जाएगी। इस योजना के चलते उस क्षेत्र की अपनी अलग पहचान बनेगी साथ ही वहाँ का पर्यटन भी बढेगा।

योजना का क्रियान्वयन :

- योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ओडीओपी (ODOP) प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।
- यह प्रकोष्ठ अपर आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के दिशा–निर्देशन एवं प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन निर्यात आयुक्त के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।
- जिले स्तर पर जिला अधिकारी को इस योजना की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। जिला अधिकारी को अपने जिले में एक जिला एक प्रोडक्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए अपनी एक समिति का गठन करना होगा।
- योजना के सुचारू एवं सफल क्रियान्वयन हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं के समाधान परामर्श, उत्पादन तकनीक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग आदि से संबंधित समस्त

जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु एक वेब पोर्टल/हेल्पलाइन का विकास किया जाएगा।

- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 मुख्य श्रेणिया बनाई गयी है। इन श्रेणियों को कच्चा माल, फाइनेंस, डिजाइन, स्ट्रक्चर टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग और डेवलपिंग डिस्प्ले और एक्सिबिशन और मार्केटिंग आदि भागों में विभाजित किया गया है।
- साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष टेक्निकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के नेटवर्क को विकसित करके इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। ताकि संबंधित क्षेत्र में हुए नए अविष्कारों के लाभों को व्यवहारिक रूप से उत्पादकों तक पहुँचाया जा सके।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु बजटीय सहायता निर्यात आयुक्त के माध्यम से ओडीओपी (ODOP) प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाएगी।

एक जिला एक उत्पाद योजना में चुने गए उत्पाद–

इस योजना में हर जिले के लिए उत्पाद का चयन वहाँ की परम्परा और उपलब्धता के आधार पर किया गया है।

जिला	उत्पाद का नाम	जिला	उत्पाद का नाम
आगरा	चमड़ा	बहराइच	हस्तकला उत्पाद
अमरोहा	ढोलक	बरेली	ज़री–ज़रदोज़ी
अलीगढ़	हार्डवेयर	बलिया	बिन्दी
औरैया	दूध का समान (घी)	बस्ती	काष्ठ कला
प्रयागराज (इलाहाबाद)	मूंज (पेरु)	बलरामपुर	दाल
आजमगढ़	काली मिट्टी से बने उत्पाद	भदोही	कालीन
अम्बेडकरनगर	कपड़ा	बाँदा	पत्थर शिल्प
अमेठी	मूंज	बिजनौर	काष्ठ कला
बदायूं	ज़री–ज़रदोज़ी	बाराबंकी	वस्त्र
बागपत	घर सजाने का समान	बुलंदशहर	चीनी मिट्टी के बर्तन
चंदौली	ज़री–ज़रदोज़ी	फैजाबाद	गुड़
चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने	फर्रुखाबाद	छपाई
देवरिया	घर सजाने का समान	फतेहपुर	चादर
इटावा	वस्त्र	फिरोजाबाद (अयोध्या)	काँच का समान
एटा	घुंघरु, घंटी	गौतमबुद्ध नगर	रेडीमेड कपड़े
गोरखपुर	टेराकोटा समान	झाँसी	खिलौने
हाथरस	हींग	मिर्जापुर	कालीन
कानपुर	चमड़ा	वाराणसी	बनारसी साड़ी
सीतापुर	दरी	रामपुर	पेंच वर्क
महोबा	गौरा पत्थर	लखनऊ	चिकनकारी
जालौन	हस्तनिर्मित कागज	महाराजगंज	फर्नीचर

निष्कर्ष :

इस योजना के सुचारू रूप से लागू हो जाने के बाद राज्य में विगत 5 वर्षों में लगभग 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। स्थानीय, कारीगरों, उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु अगले 5 वर्षों में 25000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिलाने का प्रस्ताव है जिससे राज्य में उद्योगों का विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी। 25 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होने के साथ ही प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2 प्रतिशत के वृद्धि की उम्मीद है। इस योजना के माध्यम से सरकार जिलों में फैले छोटे, मझोले और परंपरागत उद्योगों की लुप्त होती पहचान को पूरी दुनिया तक फैला सकेगी। सरकारी सहायता से प्राप्त नई तकनीक की सुविधा होने से उत्पाद की गुणवत्ता बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लायक होगी। इससे न सिर्फ जिले व क्षेत्र विशेष तक सीमित रहेगी बल्कि उत्पाद एक ब्रांड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना पाएंगे, साथ ही ब्रांड यू.पी. की पहचान भी बनेगा।

संदर्भ–

1. लेख विभिन्न समाचार पत्र, वेबसाइट पर आधारित है।
2. odopup.in
3. https://www.indiatoday.in
4. https://www.insightsoniadia.com
5. https://timesotindia.indiatimes.com
6. https//www.business.standard.com
7. www.ssgcp.com
8. www.livehindustan.com
9. https://www.patrika.com
10. https://anarujala.com